

# उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

UPSIDC

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स  
A-1/4, लखनऊ,  
पोस्ट बाक्स नं. 1050  
कानपुर - 208024  
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)  
वेबसाइट : [www.upsidc.com](http://www.upsidc.com)  
ई.मेल : [md@upsidc.com](mailto:md@upsidc.com)

संदर्भ सं०

/यूपीसीडी/

दिनांक

## कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के आबंटियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं/कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय अधिकार प्रतिनिधायनित करते हुए कार्यालय आदेश सं० 2377-81/एसआईडीसी आईए/ दिनांक 01.12.2016 एवं कार्यालय आदेश सं० 419-422/एसआईडीसी / आईए दिनांक 03.01.2017 तथा औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के कार्यों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत समस्त कार्यालय आदेशों को अवक्रमित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के कार्यों का प्रतिनिधायन कार्यहित में निम्नवत् संशोधित किया जाता है जिससे कि सभी प्रकृति के भूखण्डों से सम्बन्धित आबंटियों के विभिन्न कार्यों सम्बन्धी अनुरोध पारदर्शिता के साथ शीघ्र निस्तारित किए जा सके:-

अ. क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को प्रदत्त अधिकार

क्र० सं०	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायन/अधिकार
1.	सभी प्रकृति के भूखण्ड जिनमें इकाई स्थापना हेतु नियमानुसार परियोजना क्रियान्वयन हेतु समय उपलब्ध/विस्तारित है, का नियमानुसार पट्टा-विलेख निष्पादन, कब्जा हस्तान्तरण, हस्तान्तरण/आवंटन संबंधी कार्य आरक्षण धनराशि की देय तिथि से 60 दिनों तक तीव्र गामी क्षेत्रों में तथा 90 दिनों तक मन्थर गामी क्षेत्रों में क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में) व्याज सहित भुगतान स्वीकार किया जाना, पट्टाविलेख को आबंटी की अभिरक्षा में/वित्तीय संस्था के पक्ष में एकल/संयुक्त/बहुपक्षीय रहन/पारी पासू प्रभार्य, आबंटित क्षेत्रफल में भूखण्ड के कब्जे तक ज्ञात हुई आबंटित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत (अधिकतम 300 वर्गमी०) के विचलन का नियमानुसार नियमितीकरण, औद्योगिक परियोजना हेतु आबंटित/हस्तान्तरित भूखण्डों पर अनुमन्य उपयोगों के अन्तर्गत उत्पाद परिवर्तन/अतिरिक्त उत्पाद/विस्तार हेतु इकाई की स्थापना से सम्बन्धित।	पूर्ण अधिकार
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का समर्पण स्वीकार करना एवं नियमानुसार धनराशि वापस करना, जमा धनराशि में ₹० 100/- तक की कमी होने पर आबंटी को डिफाल्टर वर्ग से मुक्त कर दण्ड व्याज आदि भारित न किए जाने से संबन्धित।	पूर्ण अधिकार
3.	औद्योगिक परियोजनाओं हेतु आबंटित भूखण्डों का पूर्ण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान पर औद्योगिक भूखण्ड जिनका आबंटन/कब्जा 5 वर्ष से पूर्व का है, में अन्तिम रूप से उ० प्र० राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्रस्तर-7 (यथासंशोधित) प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्तीकरण नोटिस निर्गत किए जाने के साथ पूर्व अनुपयोगित अवधि सहित नोटिस की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष का समय विस्तारण।	पूर्ण अधिकार

4.	उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण नियमानुसार अधिकतम पूर्णलेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित ।	2 एकड़ क्षेत्रफल तक
5	एकल आवासीय भूखण्डों का हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आबंटी के उपविभाजन मानचित्र में विनियमनों में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु सृजित उप-विभाजित भूखण्डों पर आबंटी से विषयन हेतु नियमानुसार समय-विस्तारण, अन्य शुल्कों तथा हस्तान्तरण लेवी सहित हस्तान्तरण ।	पूर्ण अधिकार 01एकड़ क्षेत्रफल तक पूर्ण अधिकार
6.	यूपीएफसी / पिकप / अन्य नीलामी के माध्यम से विक्रय-पत्र/निवंधित विक्रय-विलेख पर क्रय किये गये अनुपयोगित भूखण्डों का क्रेता के पक्ष में नामान्तरण (अनुपयोगित भूखण्डों पर नियमानुसार पूर्ण लेवी / नामान्तरण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान सहित)	पूर्ण अधिकार
7.	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त औद्योगिक एवं एकल आवासीय भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में (अविवादित एवं दूसरे पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत न किया गया हो) नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	अविवादित एवं द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत न किए गए प्रकरणों में पूर्ण अधिकार ।
8.	देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण ।	पूर्ण अधिकार
9.	अनुपयोगित एवं देयों का भुगतान न करने पर एकल आवासीय भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण ।	पूर्ण अधिकार
10.	औद्योगिक भूखण्डों के निरस्त आबंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान पर)	500वर्गमीटर तक पूर्ण अधिकार
11.	एकल आवासीय भूखण्डों के निरस्त आबंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान पर)	पूर्ण अधिकार
12.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में ग्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि-शिड्यूलमेंट	500वर्गमीटर क्षेत्रफल अधिकतम देयता रु0 50.00लाख तक पूर्ण अधिकार
13.	भवन मानचित्र की स्वीकृति (1) औद्योगिक भूखण्डों के 25 एकड़ क्षेत्रफल तक (2) एकल आवासीय भूखण्डों में (3) 250 वर्गमीटर के व्यवसायिक भूखण्ड (4) बिन्दु सं0 1 से 3 के अतिरिक्त अन्य समस्त भवन मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण ए0टी0पी0 अनुभाग को अग्रसारित किया जाना ।	पूर्ण अधिकार

14	एकल आवासीय भूखण्डों में कब्जा हस्तान्तरण सम्भव न होने पर समतुल्य क्षेत्रफल अथवा क्षेत्रफल में अधिकतम 10प्रतिशत विचलन होने पर भूखण्ड परिवर्तन	पूर्ण अधिकार
----	--	--------------

ब. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र को प्रतिनिधायित अधिकार

क्र० सं०	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायित अधिकार
1.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में आबंटन/हस्तान्तरण की तिथि से 60 दिनों पश्चात तीव्र गति के औद्योगिक क्षेत्रों में तथा 90 दिनों पश्चात मन्थर गति के क्षेत्रों में 12 माह तक विलम्ब से प्राप्त आरक्षण धनराशि/हस्तान्तरण शुल्क को व्याज सहित स्वीकार करना (औद्योगिक क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में)	पूर्ण अधिकार
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में समय विस्तारण जिनपर समय विस्तारण शुल्क की देयता रु0 50लाख से कम है।	पूर्ण अधिकार
3.	<p>क्रियाशील (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) एवं उत्पादनरत (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं 2 वर्ष निरन्तर उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तान्तरण</p> <p>उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तान्तरण नियमानुसार पूर्ण अधिकतम लेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित।</p> <p>औद्योगिक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों का हस्तान्तरण।</p>	15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार 2 से 15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार 02 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
4	अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए औद्योगिक भूखण्डों का निरस्तीकरण।	5 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
5	देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण।	02 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
6	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवंटी के उपविभाजन मानचित्र में विनियमनों में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु सृजित उप-विभाजित भूखण्डों पर आवंटी से विपणन हेतु नियमानुसार समय-विस्तारण एवं अन्य शुल्कों तथा हस्तान्तरण लेवी सहित हस्तान्तरण।	01 से 05 एकड़ क्षेत्रफल तक पूर्ण अधिकार
7	यूपीएफसी/पिकप/अन्य नीलामी के माध्यम से विक्रय-पत्र/निवधित विक्रय-विलेख पर क्रय किये गये उपयोगित भूखण्डों का क्रेता के पक्ष में नामान्तरण (उपयोगित भूखण्डों पर नियमानुसार पूर्ण लेवी/नामान्तरण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान सहित)	पूर्ण अधिकार

8	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के प्रकरणों में आबंटी का नाम परिवर्तन	विवादित एवं द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में 05 एकड़ क्षेत्रफल तक भूखण्डों में पूर्ण अधिकार।
9	सभी प्रकृति के भूखण्डों में आबंटी के पुर्नगठन/संविधान परिवर्तन को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी।	05 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
10	अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण।	02-15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
11	औद्योगिक भूखण्डों के निरस्त आबंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमों के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान पर)	500 वर्गमीटर से 05 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
12.	सभी प्रकृति के भूखण्डों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमों के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क की देयता पर)	5 एकड़ तक औद्योगिक भूखण्डों में पूर्ण अधिकार
13.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में प्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि-शिड्यूलमेंट	500वर्गमीटर से 05एकड़ क्षेत्रफल तक में अधिकतम देयता रु0 50. 00लाख तक के भूखण्डों में पूर्ण अधिकार।
14.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में किरायेदारी	15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
15.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा हस्तांतरण सम्बव न होने के कारण मूल भूखण्ड के समतुल्य अथवा 20प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड परिवर्तन	05 एकड़ क्षेत्रफल तक पूर्ण अधिकार

स. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रतिनिधायित अधिकार

क्र० सं०	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायित अधिकार
1.	सभी प्रकृति के आबंटन/हस्तांतरण की तिथि से 12 माह के पश्चात् विलम्ब से प्राप्त आरक्षण धनराशि/हस्तांतरण शुल्क को ब्याज सहित रखीकार करना (औद्योगिक क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में) सभी प्रकृति के आबंटन/हस्तांतरण की तिथि के उपरान्त विलम्ब से प्राप्त आरक्षण धनराशि/हस्तांतरण शुल्क को औद्योगिक क्षेत्र की प्रीमियम दर बढ़ने की दशा में आपरेटिंग मैनुअल 2011 के प्रस्तर 2. 11 के अनुसार निस्तारण के सम्बन्ध में संस्तुति किए जाने संबंधित।	पूर्ण अधिकार
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में समय विस्तारण जिनपर समय विस्तारण शुल्क की देयता रु0 50.00 लाख से अधिक है।	पूर्ण अधिकार

3.	<p>कियाशील (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) एवं उत्पादनरत (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं 2 वर्ष निरन्तर उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण</p>	<p>5 से 15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार 15एकड़ से अधिक भूखण्डों के प्रकरणों को पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार</p>
	<p>उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण नियमानुसार पूर्ण लेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित ।</p> <p>औद्योगिक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों का हस्तान्तरण ।</p>	<p>5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों का पूर्ण अधिकार</p>
4	<p>अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए औद्योगिक भूखण्डों का निरस्तीकरण ।</p>	<p>02 एकड़ से अधिक के प्रकरणों पर पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार</p>
5	<p>देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों के आवंटनों का निरस्तीकरण ।</p>	<p>02 एकड़ से अधिक पूर्ण अधिकार</p>
6	<p>आबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, बिना वहमत अंशों में परिवर्तन के प्रकरणों में आबंटी का नाम परिवर्तन</p>	<p>विवादित एवं द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में पूर्ण अधिकार ।</p>
7	<p>सभी प्रकृति के भूखण्डों में आबंटी के पुर्नगठन/संविधान परिवर्तन को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी ।</p>	<p>05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार</p>
8	<p>अनुपयोगित भूखण्डों के आवंटनों एवं देयों के भुगतान न करने पर भूखण्डों का निरस्तीकरण</p>	<p>15 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकृति के भूखण्डों में पूर्ण अधिकार</p>
9	<p>सभी प्रकृति के भूखण्डों के आवंटन का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमों के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क की देयता पर)</p>	<p>5 एकड़ से 15 एकड़ तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार</p>
10	<p>सभी प्रकृति के भूखण्डों में प्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि-शिड्यूलमेंट</p>	<p>15 एकड़ क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में देयता ₹0 10.00 करोड़ से अधिक तथा 5 एकड़ क्षेत्रफल से अधिक के भूखण्डों का पूर्ण अधिकार</p>
11	<p>सभी प्रकृति के भूखण्डों में किरायेदारी</p>	<p>15 एकड़ से अधिक पूर्ण अधिकार</p>
12	<p>सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जे तक ज्ञात आबंटित क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत (अधिकतम 500 वर्गमील) से अधिक वृद्धि का नियमितीकरण</p>	<p>पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार</p>

13	<p>सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा हस्तांतरण सम्भव न होने के कारण मूल भूखण्ड के समतुल्य अथवा 20प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड परिवर्तन</p>	<p>05 से 15 एकड़ क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार</p>
----	--	---

“सभी प्रकृति के आवंटनों” से तात्पर्य विभिन्न भू-उपयोगों यथा औद्योगिक, आवासीय, व्यवसायिक, ग्रुप आवासीय, संस्थागत तथा अवस्थापना सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के नियमानुसार किये गये आवंटनों से है। क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करेंगे तथा उनके अधिकार क्षेत्र में ऑच्छादित न होने वाले अन्य प्रकरणों को मुख्यालय संदर्भित करेंगे जिससे कि उनपर निर्धारित अवधि में निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त प्रतिनिधायनित अधिकारों में आच्छादित एवं अनाच्छादित ऐसे प्रकरण जो कि उ0प्र0 शासन द्वारा लागू की गई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में परिभाषित मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा परियोजनाओं से सम्बन्धित हों, के निस्तारण के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी अवशेष प्रकरणों के अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे।

सभी पत्रावलियाँ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निर्णयार्थ प्रस्तुत की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग द्वारा क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों के स्तर पर निस्तारित प्रकरणों के अभिलेख यथाआवश्यक प्राप्त करते हुए अनुश्रवण किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(मयूर माहेश्वरी)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

17-21)

/यूपीसीडा/1A) Delegations of Power

दिनांक 01/04/2021

संदर्भ सं0 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त प्रभारी, औ0क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0 क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
7. गार्ड फाईल

  

(मयूर माहेश्वरी)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी